न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस

अपील संख्या 117/2016

1. कौशल्यादेवी पत्नी गोपीराम
2. विनोदकुमार पुत्र गोपीराम
3. राजेन्द्रकुमार पुत्र गोपीराम

अकवाम अहीर निवासीगण मन्नीवाल तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण राम पुत्र करताराराम
2. महावीर पुत्र करताराराम
3. दलीप चन्द पुत्र करताराराम
4. आत्माराम पुत्र महावीर
5. मनोजकुमार पुत्र महावीर

अकवाम अहीर निवासीगण मन्नीवाल तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसील सादुलशहर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध

विरूद्ध उपखंड अधिकारी, सादुलशहर

दिनांक 26.08.2016

उपस्थितिः—

श्री काशीराम रणवा, अभिभाषक अपीलांट ।

श्री मनोहरलाल सहारण, अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

26/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय :– दिनांक :–26.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 188 का करताराराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि करताराराम के नाम से चक 40 पीटीपी के वर्तमान खाता संख्या 20/18 में 7.843 है. भूमि खातेदारी थी एवं इसी चक के खाता संख्या 24/22 में 1.771 है. रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। करताराराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 14. 02.1991 को अपने लडकों एवं अपनी पत्नी के नाम ब.हि.ब. करवाई थी । करताराराम की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो गया। वसीयतकर्ता द्वारा अपनी वसीयत में यह लिखा था कि वसीयतकयर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने हिस्से को जीवननिर्वाह के लिए अपने नाम रखेगी लेकिन रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करेगी । परमेश्वरी के नाम से जो भूमि आई थी उसकी दस्तबरदारी प्रतिवादी सं.1 व 2 ने अपने नाम करवा ली जबकि परमेश्वरी को जीवननिर्वाह के लिए भूमि दी गई थी । इसलिए उक्त दस्तबरदारी वादीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। वादीगण को इस बात का पता चला तो पंचायत की तो प्रतिवादीगण ने कहां कि उनके द्वारा भूमि अपने नाम से करवा ली है । यही वादकारण पेदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार कर वाद के अनुतोष क, ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादी सं0 1 से 5 ने जबाव दावा एवं प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया एवं प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 में अंकित किया

26/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में पंजीकृत वसीयत व दस्तबरदारी का निरस्त करवाकर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है जो राजस्व न्यायालय से नहीं दिया जा सकता । ऐसा अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज किया जावें ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 26.08.2016 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण/अपीलांट द्वारा वाद अधिकारों की घोषणा का पेश किया था न कि दस्तबरदारी को निरस्त कराने का पेश किया था । ऐसे वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसके अलावा वकील अपीलांट ने अपनी बहस में इस बात पर जौर दिया कि परमेश्वरी देवी को जो आरजी करताराम से मिली थी वह सशर्त थी जैसा कि वसीयत की इबारत में लिखा है ' अगर मिकर का देहान्त हो जाता है और मिकर की धर्म पत्नी जिन्दा रहती है तो उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त कर सकेगी जिसे वह अपने जीवनकाल तक उपयोग व उपभोग करने की अधिकारी होगी उसे अपने हिस्सा की भूमि को विक्रय करने या अन्य तरीका से मुन्तकिल करने का हक व अधिकार नहीं होगा। उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्सा की भूमि उसके तीनों लडकों ब.हि.ब. पाने के अधिकारी होगे किसी अन्य का कोई हक व वास्ता नहीं होगा ।' फिर भी परमेश्वरी ने अपने जीवनकाल में उसे वसीयत में प्राप्त कृषि भूमि को जरिये

26/3/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हकतर्क हस्तातरित कर दी एवं हस्तान्तरण का अमलदरामद नामान्तरणकरण के जरिये हो चुका है, साथ ही यह भी जाहिर किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हक तर्क के मार्फत हस्तान्तरण के प्रावधान नहीं होने से हस्तान्तरण गलत ढग से हुआ है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2014(1) पेज 508, आरआरटी 2008(2)पेज 860 की नजीरें पेश की और निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते वाद को गुणावगुण पर निर्णय देने हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रतिकार स्वरूप बल दिया कि जिस हक तर्क का अमल राजस्व रेकार्ड में हो चुका है,उसे परिवर्तन का आधार सिर्फ और सिर्फ इस दस्तावेज को Civil Court द्वारा discredit करना ही है । ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभय पक्षों के पक्षों को सुनने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथमतः परमेश्वरी की खातेदारी दर्ज होने के पश्चात उसे वसीयत की उन शर्तो से प्रतिबंधित करना कि वह हस्तान्तरण नहीं कर सकती कोई कानून प्रतिबंधित नहीं करता द्वितीय अगर हक तर्क द्वारा हस्तान्तरण के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं तो जिस नामान्तरणकरण से अमल हुआ है उसकी अपील का विकल्प उपलब्ध है । साथ ही हक तर्क को खारिज किये बगैर हुए अमल दरामद को हटाना नामुमकिन है तथा हक तर्क के दस्तावेज को खारिज करने का

26/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से अधी. न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रा.पत्र विधिसम्मत स्वीकार करने से हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, R.A.S., राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
1. श्रीमती मायादेवी w/o गोपीराम बनाम 1. बृजलाल S/o करतारा राम जाति अहीर
*2. अहीर नि. मन्नीवाली तह. सादुलशहर *2. नि. मन्नीवाली तह. सादुलशहर
अपील नं. 117 सन् 2016 व नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सादुलशहर मुवर्ख 26 माह 8 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 26 माह 7 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री काशीराम रणवा Adv. मिनजानिब अपीलान्ट व श्री एम.एल. सहारण Adv. श्री इकबालसिंह सिद्धू Adv. रेस्पोडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलार्थ खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग X) रूपये X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26 माह 07 2017 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर
ओहदा
राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रुपये	पैसे	रेस्पोन्डेन्ट	रुपये	पैसे
1 स्टाम्प अपील			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 इजराय हुक्मनामा			3 इजराय हुक्मनामा		
4 वकील फीस बाबत			4 मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		

अपीलार्ट

*2. विनोद कुमार S/o गोपीराम
3. राजेन्द्र कुमार S/o गोपीराम
] अफवाम अहीर निवासी गाव मन्नीवाली तह सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

रेस्पोंडेन्टान

*2. महावीर S/o करतारा राम
3. दलीप चंद S/o करतारा राम
4. आत्मा राम S/o महावीर
5. मनोज कुमार S/o महावीर
] अफवाम अहीर निवासी गाव मन्नीवाली तह सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर

[signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)